उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-7/2019/477/तीस-4-2019
लखनऊः दिनांकः 07 मार्च, 2019

आदेश

मारूति कम्पनी की माडल सियाज डेल्टा पेट्रोल कार की स्वीकृत धनराशि रूपये 7,29,401.42 के सापेक्ष वर्तमान दर रूपये 7,82,877.30 के अन्तर की धनराशि रूपये 52,877.88 की स्वीकृति शासनादेश संख्या-6/2019/1787/30-4-2018-02 (सा)/2018, दिनांक 07.03.2019 द्वारा निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश दिनांक 07.03.2019 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(विनोद कुमार)
उप सचिव।

संख्या-7/2019/477(1)/तीस-4-2019-तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-9
7- निदेशक-वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0लखनऊ
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।